निर्णय व इजलास डॉ॰ जोगाराम आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, जयपुर

प्रकरण संख्या 92/2020 (धारा 14 सिक्योरिटाईजेशन)

भारतीय स्टेट बैंक शाखा एस.एम.ई.सी.सी.सी., एलआईसी डिविजनल ऑफिस बिल्डिंग कैम्पस, अम्बेडकर सर्किल, भवानी सिंह रोड़, जयपुर (राज.)

प्रार्थी

बनाम

(1) मैसर्स विरोत्सु एन्टरप्राईजेज (ऋणी)
प्लॉट नं. 25–ए, वसुन्धरा कॉलोनी, टोंक रोड़, जयपुर (राज.)

(2) श्री तुषार माहेश्वरी पुत्र श्री सुशील माहेश्वरी (पार्टनर एवं गारन्टर)
फ्लैट नं. 402, ए–23, साकेत पंचशील, पंचशील कॉलोनी, पुरानी चुंगी, अजमेर रोड़, बांके होम बेकरी के पास, जयपुर (राज.)

(3) श्री सुमित सैनी पुत्र श्री राजेश सैनी (पार्टनर एवं गारन्टर)
1390, बाबा हरीशचन्द्र मार्ग, थर्ड क्रॉसिंग, चांदपोल बाजार, जयपुर (राज.)

(4) श्री विनायक सुरोलिया पुत्र श्री राजेन्द्र प्रसाद सुरोलिया (पार्टनर एवं गारन्टर)
25–ए, वसुन्धरा कॉलोनी, टोंक रोड़, दुर्गापुरा, जयपुर (राज.)

(5) श्री रोहित जांगिड़ पुत्र श्री हनुमान प्रसाद जांगिड़ (पार्टनर एवं गारन्टर)
430, रजनी विहार, हीरापुरा, जयपुर (राज.)

अप्रार्थीगण
ऋणी एवं गारन्टर

जिला मजिस्ट्रेट (कलक्टर) जिला जयपुर (राज.)

The application under section 14 of the securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002

उपस्थित :– श्री सत्येन्द्र खोरानियां अधिवक्ता प्रार्थी बैंक की ओर से।

निर्णय दिनांक 2-7-2020

1. संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थी बैंक ने अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 06.06.2017 को पुनर्भुगतान हेतु जमानत प्रतिभूति के रूप में मैसर्स विरोत्सु एन्टरप्राईजेज का हाईपोथिकेटेड स्टॉक ऑफ डिजिटल प्रिन्टिंग मशीन, एन्टायर करन्ट असेट्स एण्ड फिक्स्ड असेट्स (बोथ प्रजेन्ट एण्ड फ्यूचर) अर्थात् स्टॉक्स फिनिश्ड गुड्स, स्टोर्स एण्ड स्पेयर्स, स्टॉक–इन–ट्रांजिट, सण्ड्री डेटर्स, ऑल द प्रजेन्ट

जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर

एण्ड फ्यूचर लिस्ट ऑफ बुक–डेब्ट्स, आउटस्टैन्डिग, रिसीवेबल, ऑल मूवेबल्स, इक्युपमेन्ट्स, सिक्योरिटीज, अदर मूवेबल फिक्स्ड असेट्स, फर्नीचर, फिक्चर्स एण्ड फिटिंग्स इत्यादि को बन्धक कर रू. 8,40,000/–रुपये की ऋण सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। अप्रार्थी ऋणी द्वारा प्रार्थी बैंक को ऋण भुगतान करने में असफल रहने पर अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 04.12.2019 को रजिस्टर्ड नोटिस जारी किये गये। नोटिस जारी किये जाने के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज भुगतान नहीं करने पर प्रार्थी बैंक ने The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपने पास बन्धक उक्त सम्पति का भौतिक रूप से कब्जा प्राप्त करने हेतु आवश्यक पुलिस इमदाद उपलब्ध कराने की इस्तदुआ की है।

2. बैंक के सुयोग्य अधिवक्ता को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

3. प्रकरण में प्रार्थी वित्तीय संस्था द्वारा अप्रार्थी ऋणी को दिनांक 04.12.2019 को धारा 13(2) का रजिस्टर्ड नोटिस जारी किया गया। नोटिस प्राप्ति के साक्ष्य के रूप में भारतीय डाक विभाग की वेवसाईट से प्राप्त ट्रेकिंग स्टेटस की फोटो प्रति प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत की गई है। अतः The securitisation and reconstruction of financial assets and enforcement of security interest Act. 2002 की धारा 14 में प्रदत्त शक्तियों के तहत प्रार्थी बैंक के पक्ष में बंधक मैसर्स विरोत्सु एन्टरप्राईजेज का हाईपोथिकेटेड स्टॉक ऑफ डिजिटल प्रिन्टिंग मशीन, एन्टायर करन्ट असेट्स एण्ड फिक्स्ड असेट्स (बोथ प्रजेन्ट एण्ड फ्यूचर) अर्थात् स्टॉक्स फिनिश्ड गुड्स, स्टोर्स एण्ड स्पेयर्स, स्टॉक–इन–ट्रांजिट, सण्ड्री डेटर्स, ऑल द प्रजेन्ट एण्ड फ्यूचर लिस्ट ऑफ बुक–डेब्ट्स, आउटस्टैन्डिग, रिसीवेबल, ऑल मूवेबल्स, इक्युपमेन्ट्स, सिक्योरिटीज, अदर मूवेबल फिक्स्ड असेट्स, फर्नीचर, फिक्चर्स एण्ड फिटिंग्स इत्यादि का भौतिक रूप से कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबधित पुलिस थाना प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है।

4. आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को हस्ब कायदा जारी हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर दाखिल दफ्तर हो।

5. आदेश आज दिनांक 2.7.2020 को सरे इजलास सुनाया गया।

(डॉ॰ जोगाराम)
जिला मजिस्ट्रेट
(कलक्टर) जयपुर